

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 845/2019

Nathu Ram

Applicant

Versus

State of Rajasthan

Respondent

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Compliance report of the Hon'ble Tribunal order dated 22.10.2019, on behalf of Rajasthan State Pollution Control Board.	2-3
2.	DOCUMENTS	
	<b>Annex-1-</b> Photo copy of joint inspection report and letter dated 17/12/2019 (Collectively).	4-5
	<b>Annex-2-</b> Photo copy of letter dated 31/12/2019 of Sub Divisional Magistrate, Pali and report of revenue inspector Mandali (Collectively).	6-8

(Amit Sharma)  
Regional Officer, RSPCB,  
Pali

(अमित शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

2

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 845/2019**

Nathu Ram

**Applicant**

**Versus**

State of Rajasthan

**Respondent**

**COMPLIANCE REPORT OF THE HON'BLE TRIBUNAL  
ORDER DATED 22.10.2019, ON BEHALF OF  
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD.**

I, Amit Sharma S/o Dr. Sushil Narayan Sharma, aged 48 years, at present working as Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali (Raj.) do, hereby submits the compliance report as follows:-

- 1) That the Hon'ble Tribunal by order dated 22.10.2019 directed inter-alia as follows:-

***"Let the State Pollution Control Board (RSPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a joint factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicialngt@gov.in."***

- 2) That in compliance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal, the State Board makes following submissions:-
  - i. It is submitted that the grievance submitted in said application before the Hon'ble Tribunal is basically related with use of agriculture land for non agriculture purposes, encroachment on government land & public road and pollution due to brick baking activity.

**(अमित शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी**

- ii. A joint inspection of the disputed site was conducted by the officials of RSPCB and revenue department on 11/12/2019. On the basis of observations made during the course of inspection, a letter was issued to the District Collector, Pali to take action for removal of encroachment and provide the action taken report to the State Board, so that the same can be submitted before this Hon'ble Tribunal. The photo copy of joint inspection report and letter dated 17/12/2019 are annexed herewith and marked as **Annexure-R/1 (Collectively)**.
- iii. That the Sub Divisional Magistrate Pali vide letter dated 31.12.2019 informed that in respect of removal of encroachment at Khasra no. 564 of village Mandia report has been obtained from Revenue Inspector (RI) Mandali. As per contents of said report, encroachment on public road has been removed and no brick baking (Kazawa) activity is being carried out at site. The photo copy of letter dated 31/12/2019 of Sub Divisional Magistrate Pali and report of revenue inspector, Mandali are annexed herewith and marked as **Annexure-R/2 (Collectively)**
- 3) That in the light of submissions made herein above, it is requested that the compliance report may kindly be taken on record and the original application may kindly disposed of with respect to the State Board.

  
 (Amit Sharma)  
 Regional Officer, RSPCB,  
 (अमित शर्मा) Pali  
 क्षेत्रीय अधिकारी



(क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा)  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस ए - 6, मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली  
E.mail: rorpcb.pali@gmail.com

घेप 02932.231616

क्रमांक : रा.प्र.नि.म./आर.ओ.पाली/NGT/L-103/2415

दिनांक : 17/12/2019

श्रीमान जिला कलेक्टर,  
पाली (राज.) ।

विषय:- माननीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण OA. न. 845/

2019 श्री नाथुराम बनाम राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ:- 1. राज्य मंडल की विधि शाखा के ईमेल दिनांक 29.11.2019 के क्रम में ।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि श्री नाथुराम पुत्र श्री पाबुराम जी , 229, आई माता मंदिर के सामने, वार्ड न. 13, गाव मंडिया, पोस्ट मंडिया, जिला पाली (राज) द्वारा माननीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए आम रास्ते पर अतिक्रमण कर कजावा (ब्रिक्स) सम्बंधित कार्य किये जाने के क्रम में परिवाद OA. न. 845/ 2019 प्रस्तुत किया गया है । (प्रति संलग्न)

उक्त सन्दर्भ में जिला प्रशासन के भू अभिलेक, राजस्व निरीक्षक (श्री नरपत सिंह, R.I. मण्डली) एवं इस कार्यालय द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण दिनांक 11.12.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान KH. न. 180 पर अतिक्रमण कर कजावा (ब्रिक्स) सम्बंधित कार्य बिना सक्षम विभाग की अनुमति के किया जाना पाया गया । (निरीक्षण प्रतिवेदन/ मौका फर्द की प्रति संलग्न है । )

श्री मान जी निवेदन है की उक्त आम रास्ते पर अतिक्रमण को हटा कर अनुपालना रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को अतिशीघ्र भिजवाने की कृपा करावे, जिससे माननीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में जवाब प्रस्तुत किया जा सके ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रा.प्र.नि.म., पाली  
o/c

नौकर चर्चा

31.12.2019 को सीमांत उपखंड अधिकारी भदोक्षु जाली के मौखिक निर्देशानुसार गण मंडीय के क्र. नं 180 रकब 14.14 बीघा खेतवासी शर्मा एवं उल्लेखित लक्ष्मी देवी क्र. नं 564 रकब 5.13 बीघा क्र. म. जाली के मोक पर मध्य मौखिकता पट्टी क्र. नं 564 एवं क्र. नं 180 को मौक देखा गया क्र. नं 180 रकब 14.14 बीघा खिल न. के लक्ष्मणमं बलराम आकाशम सि. अशोकम सि 314 आकाशम मोहनलाल सि. अमरराम जाली पट्टी अमरराम सि 114 क्रम कुम्हार की खेतवासी शर्मा है क्र. नं 564 रकब 5.13 बीघा गी. 2 शर्मा खेतवासी शर्मा है मोक पर क्र. नं 180 के खेतवासी ने अपने खेत की सीमा को भंगे वहाकर क्र. नं 564 में अतिक्रमण किया है क्र. नं 564 में बाड़ काट कर गैर लक्ष्मण (मोहका) अतिक्रमण किया हुआ है क्र. नं 564 में उपर खेतवासी का 0-07 बीघा शर्मा पर अतिक्रमण है साथ ही क्र. नं 180 के खेतवासी ने अपनी खेतवासी शर्मा से कुछ हिस्से में सिद्धी वालक ईंटों का कजावा बनाने की तैयारी भी हुई है लक्ष्मण मोक पर लगभग 20 से 25 गाड़ी सिद्धी बाहर से लकर इकट्ठी की हुई है लेकिन मोक पर खिली की तरह की कच्ची पत्थी ईंटें गरी बनायी गयी है पूर्व के नी इन्फोर्मेट इत खेतवासी द्वारा कजावा बनाया गया था जिसके लक्ष्मणमं. लक्ष्मणमं पट्टी पर प्र. क्र. सि 314 रकब जाली अतिक्रमण एवम् देह पत्थर बिना गण या शर्मा ने मोक पर किसी तरह का ईंटों का कजावा नहीं है न ही पत्थरी ईंटें या पट्टी हुई है पूर्व का कजावा एक-दो जगह पर है मोक पर उपरिष्ठत अतिक्रमण के प्रतिबंध को पाठ्य सिद्धी गण क्र. नं 564 में खिल गये अतिक्रमण को हटाने एवं क्र. नं 180 एवं क्र. नं 564 में खिली की तरह की कजावा जमावट को खिल जावे लक्ष्मण आदि ईंटों का सिद्धी या सिद्धी को लाला जाली इकट्ठा न खिल जावे लक्ष्मण आदि के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई कार्रवाई की जावेगी नौकर चर्चा पट्टी पर सुनयी गयी एवं दस्तावेज अगुवा विधान करवाये गये। जाधुराम एवं जाधुराम जाली पट्टी को क्र. नं. 2 9823855025 पर संकल किया पट्टी दल्ल मंडीय को क्र. नं. पट बनाया सि 4 नं जाली से बाहर है तथा नै काज मोक पर उपरिष्ठत लक्ष्मी हो लक्ष्मण एवं उपर सिद्धी गण आकाशम कार्रवाई कराये नौकर चर्चा पर उपरिष्ठत मौखिकता के दस्तावेज करवाये गये।

(दोपक अंश) R.I. मंडली  
 व. अधिकारी  
 गणमंडी. पाली  
 11.12.2019

अति. भादुराम मंडीय  
 (नौकर चर्चा)

प. मंडीय

अभिमत मंगलाराम डाल कनाराम ने दस्तावेज है मनाबिया

R.I. मंडली

कोमि सिद्धी गण  
 (मं)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप जिला कलेक्टर, पाली

क्रमांक/राजस्व/ 2019/ 1384

प्रेषित:- क्षेत्रिय अधिकारी


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पाली

S.O.(D) Reply Annexure-R-2  
Prepared by 01-01-2020 (3 Pages)दिनांक:- 31/12/19 4932  
01/01/20

विषय:- ग्राम मंडिया में ख.नं. 564 गै.मु रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम मण्डिया के खसरा नंबर 564 गै.मु रास्ते पर हुए अतिक्रमण हटाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मंडली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार उक्त आम रास्ते से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:- भू-निरीक्षक मंडली रिपोर्ट



(रोहिताश्व सिंह तामर)

आई.ए.एस

उप जिला कलेक्टर

पाली

सेवा में,

श्री मानू उपखण्ड अधिकारी महोदय  
पाली

विषय: - ग्राम मण्डिया में ख.न. 564 जे.मु.  
शाखा पर हुए अतिक्रमण को हटाने का  
महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्वित निवेदन है कि

श्री मानू से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 11.12.2019 को  
ग्राम मण्डिया में ख.न. 564 जे.मु. शाखा पर हुए अतिक्रमण  
को हटाने का ग्राम मण्डिया में आबू अतिक्रमण श्री  
कनाराम आदराम लकराम पि. अगाराम कौरा आति कुहार  
को रकबा 0.07 बीघा पर अतिक्रमण हटाने का कार्य पावर  
किया गया। मौका फर्द बनाई आबू श्रीमान तहसीलदार  
सा.पाली को दिनांक 13.12.2019 को उत्तर भी गई थी। जिसके  
ज.स. द्वारा सुलाधन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया  
था। बाद रिपोर्ट अतिक्रमणों द्वारा (क्यों ही) क्लर नम्बर  
564 जे.मु. शाखा पर अतिक्रमण हटा दिया है। बाद हराकर राज  
चंद्राकरिया है। उक्त खातेदारों ने पाव ही अपनी ज़ादेदारी भूमि पर  
इसका क़ावा बनाने हेतु मिट्टी अपनी ज़ादेदारी भूमि पर गल  
रखी है। हालांकि मौके पर कोई क़ावा इसका नहीं है एवं  
इस भी नहीं बनाई जा रही है पर खेत पर मिट्टी इकट्ठी की  
हुई है जिससे उसको इसका क़ावा नहीं बनाने हेतु पावर  
किया गया है। मिट्टी स्वयं की ज़ादेदारी भूमि पर होने  
से नहीं हटाई गई है। रिपोर्ट सेवा से पेश है।

ROPCW  
31/12/19

र. प्र. मंजरी  
31.12.2019

राजस्व  
13/12/19  
सेवा में

6865-  
19/12/19

श्री मानू तहसीलदार लाहौर  
पाल्सी

विषय : ग्राम मण्डिया में ख.नं. 564 में कुं.  
राजा पर हुए अतिक्रमण को हटाने कायत

प्रेषण : श्री मानू उपखण्ड अधीक्षारी महोदय  
पाल्सी का मौजूदा आदेश दि. 9.12.2019,  
महोदयजी,

उपरोक्त विषयसंबंधित निवेदन है कि  
ग्राम मण्डिया के ख.नं. 564 पर रकबा 0.77 बीघा  
पर कनायम, भादयम, लकाराम व भगाराम वजारा  
जाति कुम्हार द्वारा अतिक्रमण कर पास की खेतदारी  
भूमि पर दूरी को खताने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में  
संवत् 2014 में अतिक्रमण दूर करने पर श्री मानू के आदेशानुसार  
आदेशानुसार धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाया जाना है।  
प्रकरण N.P.T. में दर्ज हुआ है एवं श्री मानू उपखण्ड  
अधीक्षारी महोदय द्वारा अतिक्रमण हटाने को कहा गया है।  
दि. 11.12.2019 को मौजूदा आदेश बनाई गई है।  
एवं अतिक्रमण को अतिक्रमण हटाने हेतु पावन क्रियागता। उक्त  
अतिक्रमण को हटाने हेतु संसाधन ग.उ.उ. इत्यादि उपलब्ध  
किया है। आवेतादि मौजूदा अतिक्रमण हटाया जाना है।  
रिपोर्ट आदेशानुसार पेश है।

उपरोक्त में...